राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक एवं मानदण्डों का उनके प्रभावों और पक्षकारों के मतों के सन्दर्भ में अध्ययन

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर (म.प्र.)

की पी–एच.डी (शिक्षा)

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध सारांश

निर्देशक
प्रोफेसर एस. के. त्यागी
(पूर्व विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष)
मो.न. 9179753037

शोधार्थी
विवेक कुमार यादव
मो.न. 09452204078

शिक्षा अध्ययनशाला (IASE)
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर, (म.प्र.)
(NAAC द्वारा'A+'ग्रेड प्राप्त संस्था)

1.0.0 प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध अध्ययन "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक एवं मानदण्डों का उनके प्रभावों और पक्षकारों के मतों के सन्दर्भ में अध्ययन" एक सर्वेक्षण प्रकार का शोध है जिसके अंतर्गत शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के संदर्भ में "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनिमय –2014 के मानकों और मानदण्डों के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। चूंकि कक्षाओं में देश के भविष्य को आकार देने वाले शिक्षक ही हैं, इसलिए विभिन्न आयोगों में अध्यापक शिक्षा पर महत्व दिया गया है। ''देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में ढाला जा रहा है''(कोठारी आयोग)। शिक्षक की शिक्षा के महत्व को देखते हुए सदैव प्रयत्न किया गया है कि शिक्षक शिक्षा को उच्च शिक्षा में सम्मिलित कर एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। इस बात का महत्व हाल ही के दो महत्वपूर्ण विकास क्रमों यथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को दृष्टिगत रखते हुए और अधिक बढ़ जाता है। इससे पूर्व भी कई राष्ट्रीय आयोगों और समितियों ने शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ दी हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति–1986 तथा पुनरीक्षित शिक्षा नीति–1992 में भी शिक्षक शिक्षा में दूरगामी सुधार हेतु कई सुझाव दिए गये हैं। हाल ही में माननीय न्यायमूर्ति जे.ऐस.वर्मा आयोग के द्वारा शिक्षक शिक्षा के मानदण्डों, पाठ्चर्या आदि के बारे में अनुशंसाएँ दी गई हैं। इन अनुशंसाओं को कार्यरूप में परिवर्तित करने हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के प्रोफेसर पूनम बत्रा की अध्यक्षता में गठित समिति ने माननीय न्यायमूर्ति जे.ऐस.वर्मा की सिफारशों के अनुरूप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम– 2014 का प्रारूप प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव को संसद की मंजूरी के बाद पारित कर दिया गया। सत्र 2015 से शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पाठय्क्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम– 2014 के अनुरूप ही संचालित किये जा रहे हैं। यद्यपि प्रोफेसर पूनम बत्रा

समिति द्वारा अनुसंशित पाठ्यचर्या की रूपरेखा को व्यापक स्तर पर यथा क्षेत्रीय समितियों तथा केन्द्र स्तर पर चर्चाओं द्वारा अन्तिम रूप दिया गया। तथापि इस प्रक्रिया में शिक्षा से जुड़े हुए तमाम पक्षकारों के दृष्टिकोणों को समुचित स्थान नहीं मिल पाया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम–2014 के मानकों और मानदण्डों की 2009 के मानक और मानदण्डों की कहाँ तक सत्तता है, यह प्रश्न भी विचारणीय है। इसी प्रकार 1996 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना से लेकर 2014 तक समय–समय पर लागू किए गए मानक और मानदण्डों में परिवर्तन के पीछे क्या तर्क एवं परिस्थितियाँ थीं, यह भी एक शोध का विषय है। वर्तमान में लागू 2014 के मानक और मानदण्ड़ों का शिक्षक शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों तथा शिक्षक शिक्षा से जुड़े तमाम पक्षकारो के मतों में मूल्यांकन किया जाना भी आवश्यक है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्– 1995 से पूर्व

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपने पूर्व रूप में 1973 से कार्यरत था। यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) के अध्यापक शिक्षा विभाग में, शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार विभाग था। शैक्षिक क्षेत्रों में अपने सराहनीय कार्य के बावजूद यह घटिया शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के प्रसार रोकने, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रों में मानकों के रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विनियामक कार्य का प्रदर्शन नहीं कर सका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की कार्य योजना के लिए पहले कदम के रूप में वैधानिक स्थिति और आवश्यक संसाधनों के साथ अध्यापक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् की परिकल्पना की गई।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् : स्थापना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के परिपालन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना 17 अगस्त 1995 को की गई। इस प्रकार परिषद् का एक सांविधिक दर्जा और अध्ययन शिक्षा प्रणाली को नियोजित एवं समन्वित करने हेतु आवश्यक शक्ति और संसाधन प्राप्त हुए। इस परिषद ने 1 जुलाई 1995 से विधिवत अपना कार्य करना आरम्भ किया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है जो जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सारे देश की शिक्षक शिक्षा का प्रतिनिधित्व और रखरखाव करती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के चार क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अध्यादेश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को अध्यापक शिक्षा के प्रत्येक स्तर तथा इसके प्रत्येक प्रकार आदि को नियोजित करने का अधिकार प्रदान करता हैं जिसमें शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास अनुसंधान शिक्षण प्रशिक्षण आदि सभी पक्ष सम्मिलित है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् जो केन्द्र सरकार का संवैधानिक निकाय है, वह विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के मानक और मानदण्डों शिक्षक यथा शिक्षको के लिए न्यूनतम योग्यताओं, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्र–छात्राओं के प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं घटक तथा अवधि एवं न्यूनतम योग्यताऐ विभिन्न निर्धारित करती है। यह अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम शुरू करने की इच्छुक संस्थाओं को मान्यता भी प्रदान करती है और उनके मानदण्डों और गुणवत्ता को विनियमित करने तथा उन पर निगरानी की नियमित व्यवस्था करती है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के उद्देश्य

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समुचित विकास करना है। अध्यापक शिक्षा

प्रणाली में मानदण्डों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाये रखने से संबंधित विषय सम्मिलित किये जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु विभिन्न कार्य करती है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कार्य

- परिषद से जुड़े विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना तथा प्राप्त परिणामो को सार्वजनिक करना।
- उपयुक्त योजनायें तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सिफारिशें करना।
- देश में अध्यापक शिक्षा के विकास का समन्वय एवं परिवीक्षण करना।
- मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा स्कूलों में शिक्षकों के नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में विवरण तैयार करना।
- अध्यापक शिक्षा के लिए विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण के लिए मानक निर्धारित करना।
- अध्यापक शिक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता मानक, उम्मीदवारों की चयन पद्धति, पाठ्यक्रम विषय वस्तु तथा पाठ्यचर्या प्रकार भी शामिल हैं।
- नये पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करने और भौतिक एवं आधार संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराने, स्टाफिंग पैटर्न तथा स्टाफ अर्हताओं के संबंध में मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालनार्थ मार्गनिर्देश निर्धारित करना।

- संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों से संबंधित मार्ग निर्देश तैयार करना।

- शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवप्रर्वतन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसके परिणामों को प्रदर्शित करना।

- परिषद द्वारा निर्धारित **मानकों, निर्देशों, स्तरों की समय–समय पर जाँच और समीक्षा करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उपर्युक्त सलाह देना**।

- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएँ तैयार करना और मान्यता प्राप्त संस्थाओं का पता लगाना तथा अध्यापक शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिए नयी संस्थायें स्थापित करना।

1.1.0 शोध समस्या का औचित्य

वर्ष 1996 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना के बाद से आज वर्ष 2015 तक के कुल 20 वर्षों में कई बार शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों की मान्यता हेतु मानक और मानदंड अधिसूचित किये जा चुके हैं। लगभग प्रति तीन वर्ष में एक बार की दर से। प्रश्न उठता है कि क्या इतने कम वर्षों में जमीनी वास्तविकताएं इस हद तक बदल जाती है कि परिषद् को तीन वर्ष पूर्व में बनाए गए अपने विनियम अव्यवहारिक एवं गैर–जरूरी नजर आने लगें। प्रत्येक तीन वर्षों में विनियमों में संशोधन की पृष्ठभूमि में वे कौन सी ताकतें, तथ्य अथवा घटनाएं रही हैं जिन्होंने इन तथाकथित सुधार कार्यक्रमों को उत्प्रेरित करने का काम किया हैं, जैसे कुछ प्रश्न विचारणीय है जो इस विषय में शोध को जरूरी बनाते हैं। इसी तरह संशोधित मानकों और मानदंडों के प्रकाशित विनियमों का महाविद्यालय द्वारा परिपालन

किस सीमा तक हुआ है, अथवा इन्हें लागू करने में महाविद्यालयों के समक्ष क्या समस्याएँ, विवशताएँ हैं, यह जानने के कितने प्रयास हुए हैं? दूसरे शब्दों में कहा जाये तो किये गए संशोधनों के लिए क्या कोई शोध आधारित अनुभवजन्य प्रमाण हैं अथवा यह प्रक्रिया नितांत निजी प्रकार की है जिसमें एक चुने हुए समूह के व्यक्तिगत आग्रह, विचारधारा और पसंदगी को समूचे देश के ऊपर थोप दिया जाता रहा है।

एक छोटा सा उदाहरण फैकल्टी की योग्यातओं का ही लें। सन 2005 के मानकों और मानदंडों में तय किया गया था कि बी.एड. कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों की 55 प्रतिशत के साथ बी.एड. योग्यता पर्याप्त है। किन्तु 2009 में पुनः अधिसूचित किया गया की बी.एड. में पढ़ाने के लिए उम्मीदवार के पास शिक्षा में न केवल स्नातकोत्तर उपधि होनी चाहिए वरन् शिक्षा विषय में यू.जी.सी नेट परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए। 2014 के मानकों में फिर एक बार पलटी मार दी गयी और निर्धारित किया गया कि शिक्षा महाविद्यालयों में अध्यापन के लिए फैकल्टी को नेट परीक्षा पास करना न केवल जरूरी नहीं है, बल्कि वांछित भी नहीं है। यहाँ तक कि एक बार फिर घोषित किया गया कि बी.एल.एड./बी.एड. पास उम्मीदवार भी कुछ मामूली प्रतिबंधों के साथ बी.एड. कक्षाओं में पढ़ाने हेतु अहर्तता रखते है। कहा जा रहा है कि नेट पास उम्मीदवारों की कमी को देखते हुए मानकों में शिथिलता दी गयी हैं। यदि इस दावे की वैधता पर प्रश्न चिह्न न भी लगाया जाये, तो भी यह तो पूछा ही जा सकता है कि 2009 में ऐसी कोई कमी महसूस क्यों नहीं की गयी।

सवाल है कि क्या मानक एवं मानदंड निर्धारित करते समय उनकी व्यवहारिकता पर भी समुचित विचार विमर्श नहीं किया जाना चाहिए? इसी प्रकार विनियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व क्या सभी महाविद्यालयों के संचालकों, अध्यापन कार्य में संलग्न फैकल्टी,

विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षण अभ्यास विद्यालयों, विद्यार्थियों, यहां तक कि पालकों जैसे तमाम पक्षकारों के प्रतिनिधियों के साथ बहस और जरूरी चर्चा नहीं की जानी चाहिए?

आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण के वर्ष 1990 के बाद के दशक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना प्रमुखतः अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने तथा अध्यापक शिक्षा के बाजारीकरण की प्रवृत्ति पर अकुंश लगाने के एक प्रमुख उद्देश्य से ही की गयी थी। अध्यापक शिक्षा की दिशा और दशा पर की गयी उपरोक्त स्पष्ट टिप्पणियों का निहितार्थ क्या यही नही है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अपने इन महती दायित्वों का निर्वहन कर पाने में समर्थ नहीं हो पायी है? विषय से संबंधित शोध अध्ययनों की समीक्षा से भी यही स्पष्ट होता है।

विभिन्न वर्षों में समय–समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों एवं मानदण्डों में परिवर्तन हुआ है जिसके लिए शोधार्थियों द्वारा शोध अध्ययन भी किये गए हैं। कोहली (1971) ने पंजाब स्तर पर बीएड में शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया एवं सुझााव दिया कि अभ्यास शिक्षण में परिवर्तन कर इंटर्नशिप अभ्यास शिक्षण किया जा सकता है, एवं वर्तमान एक वर्षीय प्रणाली के स्थान पर प्रशिक्षण की अवधि को दो वर्ष की जाना चाहिए। कक्कड़ (1983) ने पाया कि माध्यमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र होनी चाहिए एवं शिक्षण पद्धति के लिए दो विषय होने चाहिए और प्रत्येक विषय के लिए पाठों की संख्या 15 होनी चाहिए। शिक्षण में इंटर्नशिप तीन महीने की अवधि के लिए शुरू की जानी चाहिए।

हेममबुजम (1983) ने पाया कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सहकारी विद्यालयों और शिक्षा महाविद्यालयों में तालमेल बिठाकर काम किया जाना चाहिए।

मोहन (1980), दास (1985), सिंह एवं सिंह (2007) ने पाया कि शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में पर्याप्त भवन तथा फर्नीचर आदि उपलब्ध नहीं हैं। वालिया (2006), संधु (2007), सिंह एवं सिंह (2007) ने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश महाविद्यालय बिना नियमित प्राचार्य के काम कर रहे हैं तथा फैकल्टी की भी बेहद कमी है। सिंह एवं सिंह (2004), सिंह (2004), चोपड़ा (1964) के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालयों में शिक्षण अभ्यास को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता। मोहंती (1997), सिंह एवं सिंह (2004) के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय वर्ष में 2–3 महीने ही कार्य करते हैं, उस पर विद्यार्थियों की उपस्थिति भी नगण्य रहती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (1998) के अनुसार समस्त शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् तथा विश्वविद्यालय के मानकों का कठोरता से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कामरान (2004) ने पाया कि मानकों के पुनः संशोधन के बाद भी शिक्षक शिक्षा में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं आया हैं। आनंद एवं चौहान (2008) ने राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद् के पुर्नसंशोधित मानकों का उल्लेख कर सुझाव दिया कि राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद् को समस्त नियमों को पुनः संशोधित करना चाहिये।

बिन्दु (2008) ने केरल के संदर्भ में पहले से निर्धारित बी.एड. पाठ्यक्रम को पुनः अपडेट करने संबंधी विषय पर अध्ययन किया गया एवं सुझाव दिया कि बी.एड. कोर्स करने के लिए आवेदक को एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना जरूरी कर दिया जाये। मोहन्ती (1997) ने अनुशंसा की कि राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद् के मानकों का समस्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। कुमार और वार्ष्णेय (2013) ने शिक्षक–शिक्षा पुनर्निर्माण कार्यक्रम की आवश्यकता, समस्याओं, सुझाव के संदर्भ में शोध अध्ययन किया एवं पाया कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए

शिक्षक–शिक्षा में परिवर्तन आवश्यक है एवं शिक्षा विशेषज्ञों को नवाचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं हेतु गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए एन.सी.टी.ई., एस.सी.ई.आर.टी., एस. आई.ई. और विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग को शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्रवाई करना चाहिए।

पथी और कुमार (2011) ने शोध अध्ययन में पाया कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश संस्थान एनसीटीई द्वारा निर्धारित पात्रता का पालन करते हैं, अलग–अलग कॉलेजों में आरक्षण पैटर्न अलग–अलग थे परन्तु सरकारी कॉलेज शिक्षक–शिक्षकों के मानदंडों को पूरा करते हैं। निजी संस्थानों में शिक्षक–शिक्षकों की कमी पायी गयी। जहां तक स्टाफ पैटर्न का संबंध था, निजी शिक्षक शिक्षण संस्थानों में शिक्षण स्टाफ की अपेक्षित संख्या बमुश्किल ही पाई गई। केवल तीन या चार गैर–शिक्षण कर्मचारी ही सभी सरकारी कार्यों को संभाल रहे थे। ज्यादातर संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर– स्टाफरूम, गर्ल्स कॉमनरूम, पार्किंग प्रशासनिक कार्यालय, संगोष्ठी कक्ष थे, लेकिन आगंतुक कक्ष, कैंटीन और आग के खतरे से सुरक्षा का अभाव था। शिक्षण अभ्यास की अवधि अपर्याप्त थी। पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है। छात्र शिक्षकों की भी राय थी कि पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष की जानी चाहिए एवं अध्यापन के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए।

गर्ग (2008) ने बी.एड. कॉलेज का एनसीटीई मानदंडों के संबंध में अध्ययन किया एवं निष्कर्षों में पाया कि 1. दस कॉलेजों में से केवल सात कॉलेजों में योग्य प्राचार्य हैं, 40 प्रतिशत कॉलेजों में योग्य शिक्षकों की कमी थी। 10 महाविद्यालयों में से 6 महाविद्यालयों के पास एनसीटीई मानदंडों के अनुसार पर्याप्त भूमि थी। महाविद्यालयों में संगोष्ठी कक्ष और बहुउद्देशीय हॉल केवल 2 महाविद्यालयों में उपलब्ध थे एवं केवल 6 कॉलेजों में साइकोलॉजी लैब और एजुकेशन टेक्नोलॉजी लैब थी।

गुप्ता (2011) ने शिक्षक–शिक्षकों की धारणा के आधार पर उद्देश्यों की अपेक्षाओं और कार्यों के संदर्भ में शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीटीई कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया। मानदंडों के निर्माण के संबंध में एनसीटीई की भूमिका के प्रति प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की लगभग समान प्रतिक्रियाएं थी। उन्होंने सुझाव दिया कि एनसीटीई को पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना चाहिए।

साओ एवं बेहरा (2014), नटराज (2014), सुरापुर (2015), कौर एवं शर्मा (2016), अधिकारी (2017), थॉमस एवं तेजवानी (2017), शर्मा और शर्मा (2018) एवं मंडल (2020) ने शिक्षक शिक्षा के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के संदर्भ में अध्ययन किया। साओ एवं बेहरा (2014) ने एन. सी. टी. ई के नवीन रेग्यूलेशन दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम के संदर्भ में प्रशिक्षणार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन किया एवं पाया कि दो वर्षीय बी.एड. के लिए प्रशिक्षणार्थियों की अभिवृत्ति औसत थी। नटराज (2014) ने पाया कि द्विवर्षीय बी. एड. प्रोग्राम के प्रति अधिकतम प्रशिक्षणार्थियों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं था, परन्तु वे मानते थे कि बी. एड. पाठ्यक्रम के द्विवर्षीय हो जाने से गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा भविष्य में जॉब की दृष्टि से भी यह उपयोगी है। सुरापुर (2015) ने पाया, प्रशिक्षणार्थियों के द्विबर्षीय एम.एड. कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण थे। कौर एवं शर्मा (2016) ने पाया कि इस कार्यक्रम में समाहित इन्टर्नशिप कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों में कक्षा में सीखे गये ज्ञान व अनुभव को वास्तविक कार्यक्षेत्र में प्रयोग करने का अनुभव भी प्रदान करने में सहायक होता है। द्विवर्षीय बी.एड. कार्यक्रम की कमी के रूप में पाया गया कि डीन व विभागाध्यक्ष का मानना था कि बी.एड. में विभिन्न वर्गों के विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं जैसे बी.टेक, बी. कॉम आदि उनमें तकनीकी दक्षता किस प्रकार विकसित होगी? साथ ही साथ द्विवर्षीय बी.एड. कार्यक्रम में अध्यापनरत शिक्षकों को भी द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षण आवश्यक है। अधिकारी

(2017) ने पाया कि अधिकांश प्रशिक्षणार्थी मानते थे कि बी. एड. पाठ्यक्रम द्विबर्षीय होने से उन्हें शिक्षण शुल्क संबंधी समस्याओं का सामना कर पड़ रहा है एवं बिना किसी वृत्तिक सहायता के विद्यालयों में इन्टर्नशिप करना कठिन है। अधिकांश प्रशिक्षणार्थियों का इस कोर्स के प्रति नकारात्मक प्रत्यक्षीकरण इसलिए था कि दो वर्ष के कोर्स के उपरांत भी जॉब की निश्चितता का अभाव है। थॉमस एवं तेजवानी (2017) ने शोध अध्ययन में इन्टर्नशिप हेतु प्रशिक्षणार्थियों के प्रत्यक्षण सकारात्मक पाये। शर्मा और शर्मा (2018) ने पाया कि बी.एड. छात्रों की समयावधि के संदर्भ में अनुकूल राय थी। समग्र रूप से शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के पुनर्गठन के प्रति शिक्षकों की धारणा अनुकूल एवं महत्वपूर्ण थी। समग्र रूप से शिक्षक शिक्षा के छात्रों ने संरचना के बारे में सकारात्मक राय व्यक्त की। मंडल (2020) ने पाया कि दो वर्षीय बी.एड का संपूर्ण पाठ्यक्रम जवाबदेह शिक्षकों को तैयार करने हेतु प्रभावी है। अधिकांश प्रशिक्षणार्थी दो वर्षीय बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रति अनुकूल नहीं थे।

उपरोक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक एवं मानदंडों–2014 के संदर्भ में पक्षकारों के अभिमत के संबध में बहुत कम शोध अध्ययन किये गए हैं। यह जानना आवश्यक भी है कि जो शिक्षक शिक्षा के लिए नवीन मानक एवं मानदंड निर्धारित किए गये हैं उनका किस सीमा तक महाविद्यालयों द्वारा पालन किया जा रहा है तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को उन मानकों एवं मानदंडों का पालन करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों और शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ी छाप का आकलन किया जाना अत्यंत प्रासंगिक है। अतः शोधार्थी द्वारा इस विषय का चयन किया गया।

1.2.0 समस्या कथन

प्रस्तुत शोध का शीर्षक निम्न था –

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक एवं मानदण्डों का उनके प्रभावों और पक्षकारों के मतों के सन्दर्भ में अध्ययन

1.3.0 उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के अग्रलिखित उद्देश्य थे –

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक और मानदंडों में समय–समय पर हुए परिवर्तनों में अंतर्निहित प्रवृत्तियों/रूझानों का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के मानक और मानदंडों को फैकल्टी सम्बन्धी शिक्षा महाविद्यालय द्वारा परिपालन की वर्तमान स्थिति का आकलन करना।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के मानक और मानदंडों का शिक्षा महाविद्यालय द्वारा परिपालन तथा उसमें आने वाली समस्याओं के संबंध में प्राचार्यो के अभिमतों का अध्ययन करना।
4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् बी. एड. शिक्षक–शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षकों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन करना।
5. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् बी. एड. शिक्षक –शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन करना।

6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् एम. एड. शिक्षक –शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षकों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन करना।

7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् एम. एड. शिक्षक –शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन करना।

1.4.0 परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत शोध कार्य की निम्न परिकल्पनाएँ थी –

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् बी. एड. शिक्षक–शिक्षा की पाठ्यचर्या के अभ्यास घटक से संबंधित कथनों पर शिक्षक–प्रशिक्षकों के अभिमतों में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् बी. एड. शिक्षक–शिक्षा की पाठ्यचर्या के अभ्यास घटक से संबंधित कथनों पर शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों के अभिमतों में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् एम. एड. शिक्षक–शिक्षा की पाठ्यचर्या के अभ्यास घटक से संबंधित कथनों पर शिक्षक–प्रशिक्षकों के अभिमतों में सार्थक अन्तर नहीं है।
4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् एम. एड. शिक्षक–शिक्षा की पाठ्यचर्या के अभ्यास घटक से संबंधित कथनों पर शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों के अभिमतों में सार्थक अन्तर नहीं है।

1.5.0 परिसीमन

- शोध अध्ययन में मध्य प्रदेश के केवल एक विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश के केवल दो विश्वविद्यालयों को ही लिया गया।
- शोध अध्ययन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्–2014 के नए प्रावधानों रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, लेंग्वेज एक्रास द करीक्यूलम, ललित कला, इन्टर्नशिप एवं शारीरिक शिक्षा तक ही सीमित रखा गया।
- शोध अध्ययन केवल शिक्षक प्रशिक्षकों की योग्यता एवं उपलब्धता से संबंधित आयाम तक ही सीमित रखा गया।

1.6.0 शोध प्राकल्प

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु अभिसृत समानान्तर प्राकल्प (क्रेसवेल, 2013) का प्रयोग किया गया। शोधार्थी द्वारा इसके अंतर्गत मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रदत्तों को साथ–साथ एकत्र कर दोनों प्रकार के प्रदत्तों का अलग–अलग विश्लेषण किया गया एवं दोनों प्रदत्त समूहों का मिश्रण कर व्याख्या के दौरान परिणामों का एकीकरण किया गया। चित्र 1.1 शोध प्राकल्प को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है।

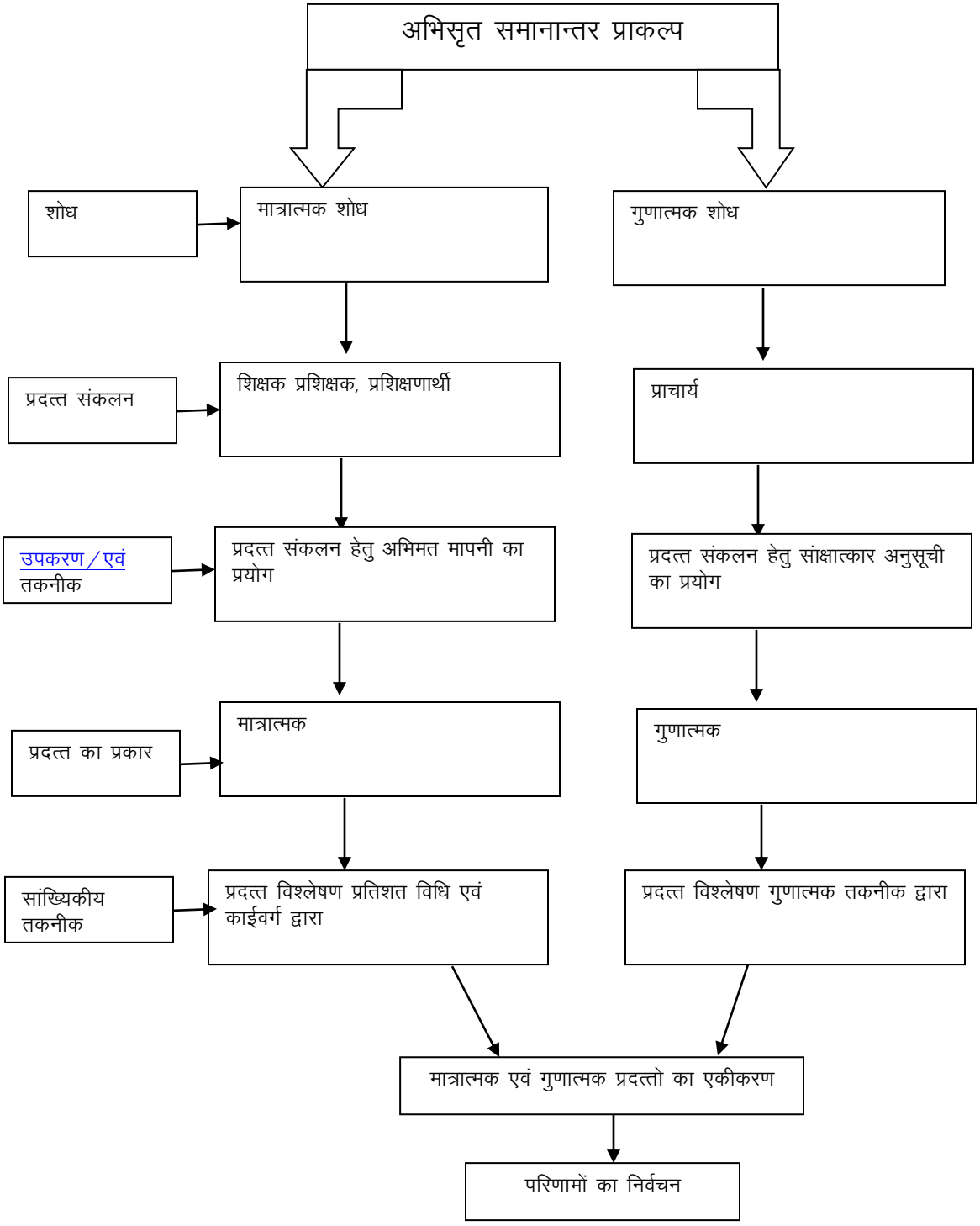

1.7.0 जनसंख्या एवं न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रुप में उत्तर प्रदेश के दो विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर एवं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या तथा मध्य प्रदेश के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अंतर्गत अनुबंधित शिक्षा विभाग के बी. एड़. एवं एम. एड़. महाविद्यालयों को सम्मिलित किया गया हैं।

न्यादर्श हेतु मध्यप्रदेश के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर से संबद्ध 10 बी. एड. महाविद्यालयों एवं 10 एम. एड. महाविद्यालयों का चयन उद्देश्य परक विधि से किया गया। उत्तर प्रदेश के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से संबद्ध 10 बी. एड. महाविद्यालयों एवं 04 एम. एड. महाविद्यालयों का चयन उद्देश्य परक विधि से किया गया। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से संबद्ध 06 एम. एड. महाविद्यालयों का चयन किया गया।

प्रत्येक महाविद्यालय के प्राचार्य/हेड का चयन किया गया। महाविद्यालय के क्रमशः 05 शिक्षकों–प्रशिक्षकों का चयन इस प्रकार किया गया कि सभी अभ्यास घटक (Practicum) पढ़ाने वालो का उचित प्रतिनिधित्व हो सके। प्रत्येक महाविद्यालय के 30 प्रशिक्षणार्थियों का चयन दैव विधि द्वारा किया गया।

विश्वविद्यालय वार न्यादर्श चित्र क्रमांक 1.2 मे प्रस्तुत किया गया है–

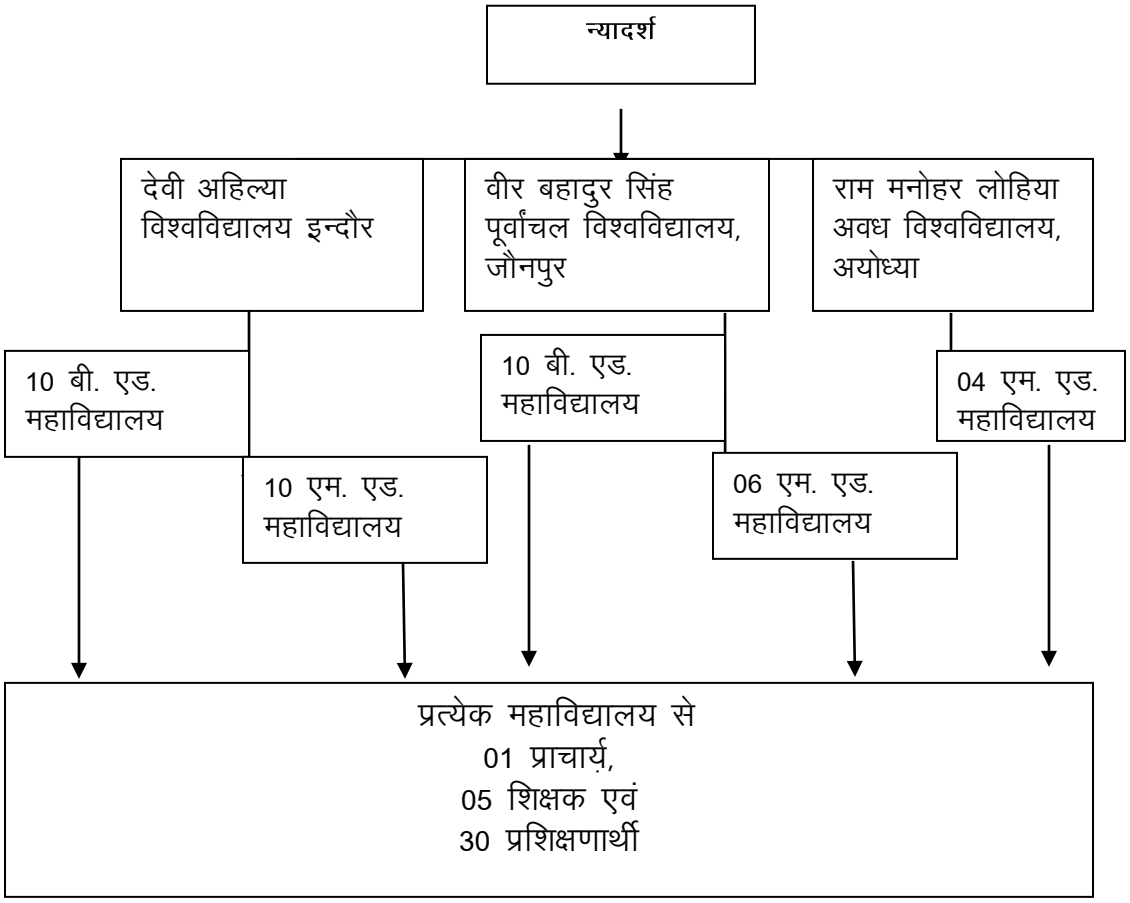

1.8.0 **शोध के उपकरण**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों का मूल्यांकनात्मक अध्ययन किया गया है जिसके लिए कोई मानकीकृत उपकरण उपलब्ध नहीं था इस कारण शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरणों के अंतर्गत साक्षात्कार अनुसूची तथा अभिमत मापनी का निर्माण एवं प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के लिए उपकरण के निर्माण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उन 07 पक्षों को ध्यान में रखकर किया गया है जिनका प्रयोग वह किसी महाविद्यालय के मूल्यांकन में करता हैं।

ये पक्ष निम्नलिखित प्रकार के हैं।

1. भौतिक अधोसंरचना / संसाधन
2. शैक्षिक अधोसंरचना
3. शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम / क्रियान्वयन अ. सैद्धांतिक ब. प्रायोगिक
4. शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक स्टाफ
5. परीक्षा प्रणाली / परीक्षा परिणाम
6. शिक्षक / शिक्षा की गुणवत्ता व नवाचार
7. शुल्क एवं उपस्थिति

उपर्युक्त 07 पक्षों के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों के अभिमत जानने हेतु अभिमत मापनी का निर्माण किया गया। प्राचार्यों के अभिमत जानने हेतु साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया। इस प्रकार कुल 05 उपकरणों का निर्माण शोधार्थी द्वारा किया गया। प्रथमतः उपकरणों का प्रारंभिक स्वरूप (प्रथम प्रारूप) तैयार कर विषय विशेषज्ञों की राय प्राप्त की गयी। विषय विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर वांछित संशोधन कर सभी उपकरणों का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया। साक्षात्कार अनुसूची का तालिका 1.1 एवं चार मापनियों का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.2 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका 1.1
साक्षात्कार अनुसूची

क्रमांक	**क्षेत्र**	**प्रश्नो की संख्या**
1.	भौतिक अधोसंरचना / संसाधन	02
2.	शैक्षिक अधोसंरचना	03
3.	शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम / क्रियान्वयन	02
4.	शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक स्टाफ	04
5.	परीक्षा प्रणाली / परीक्षा परिणाम	01

6.	शिक्षक / शिक्षा की गुणवत्ता व नवाचार	01
7.	शुल्क एवं उपस्थिति	02
कुल प्रश्न		**15**

तलिका 1.2

अभिमत मापनी

क्रमांक	**क्षेत्र**	**कथनो की संख्या**			
		बी.एड़. छात्र	**बी.एड़. शिक्षक**	**एम.एड़ छात्र**	**एम.एड़ छात्र**
1.	भौतिक अधोसंरचना / संसाधन	12	11	06	03
2.	शैक्षिक अधोसंरचना	10	11	04	02
3.	शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम / क्रियान्वयन	05	05	08	04
4.	शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक स्टाफ	10	07	03	03
5.	परीक्षा प्रणाली / परीक्षा परिणाम	09	06	05	03
6.	शिक्षक / शिक्षा की गुणवत्ता व नवाचार	05	04	06	02
7.	शुल्क एवं उपस्थिति	07	07	03	02
कुल कथन		**58**	**51**	**35**	**19**

1.9.0 प्रदत्तों का संकलन

प्रस्तुत शोध हेतु सर्वप्रथम प्राचार्यों या महाविद्यालय संचालकों से संपर्क कर उन्हें शोध के उद्देश्य से अवगत कराया गया। प्राचार्यो से अनुमति प्राप्त कर शोध कार्य हेतु चयनित महाविद्यालयों के शिक्षकों से संपर्क किया गया। प्राचार्यों, शिक्षक प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया गया कि उनसे प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखा जायेगा एवं केवल शोध कार्य के लिए ही प्रयोग किया जायेगा। प्राचार्यों से साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी का विषयवस्तु विश्लेषण किया गया तथा शिक्षक प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त प्रदत्तों का अंकन कर उचित साख्यिकीय विधि द्वारा विश्लेषण किया गया।

1.10.0 प्रदत्त विश्लेषण

1. उद्देश्य क्रमांक 01 "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक और मानदंडों में समय–समय पर हुए परिवर्तनों में अंतर्निहित प्रवृत्तियों/रूझानों का अध्ययन करना" से संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण विषयवस्तु तकनीक द्वारा किया गया।
2. उद्देश्य क्रमांक 02 "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के मानक और मानदंडों को फैकल्टी सम्बन्धी शिक्षा महाविद्यालय द्वारा परिपालन की वर्तमान स्थिति का आकलन करना" से संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण प्रतिशत के आधार किया गया।
3. उद्देश्य क्रमांक 03 "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के मानक और मानदंडों का शिक्षा महाविद्यालय द्वारा परिपालन तथा उसमें आने वाली समस्याओं के संबंध में प्राचार्य के अभिमतों का अध्ययन करना" से संबंधित साक्षात्कार के उत्तरों का विश्लेषण (Thick Description) तथा विषयवस्तु विश्लेषण द्वारा किया गया।
4. उद्देश्य क्रमांक 04 "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् बी. एड. शिक्षक–शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षकों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन करना" से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत एवं काई वर्ग परीक्षण द्वारा किया गया।
5. उद्देश्य क्रमांक 05 "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् बी. एड. शिक्षक –शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन करना" से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत एवं काई वर्ग द्वा परीक्षण द्वारा किया गया।
6. उद्देश्य क्रमांक 06 "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् एम. एड. शिक्षक –शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षकों के

अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन करना" से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत एवं काई वर्ग परीक्षण द्वारा किया गया।

7. उद्देश्य क्रमांक 07 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् एम. एड. शिक्षक –शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन करना" से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत एवं काई वर्ग परीक्षण द्वारा किया गया।

1.11.0 शोध प्राप्तियाँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन की उद्देश्यवार प्राप्तिया निम्नांकित हैं।

1.11.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक और मानदंडों में समय–समय पर हुए परिवर्तनों में अंतर्निहित प्रवृत्तियों/रूझानों का अध्ययन

शोध अध्ययन का प्रथम उद्देश्य "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक और मानदंडों में समय–समय पर हुए परिवर्तनों में अंतर्निहित प्रवृत्तियों/रूझानों का अध्ययन करना" था। इस उद्देश्य से संबंधित प्राप्तियाँ निम्न हैं।

- 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना से आज तक लगभग हर दो वर्ष में एक बार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के विनिमय प्रकाशित हुए हैं। इसकी तुलना में यू.जी.सी. ने इसी कार्यकाल में मात्र दो बार (1998 तथा 2009) विनियम प्रकाशित किये हैं।
- बी. एड. के व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में हर बार कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया है। यहाँ तक की 2007 के विनियमों में शिक्षा में

स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता को भी शिथिल कर दिया गया और स्नातक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षा में स्नातक स्तर की अर्हता निर्धारित कर दी गई। साथ ही न्यूनतम प्रतिशत के प्रतिबन्ध को भी समाप्त कर दिया गया। बल्कि इसके विपरीत यू. जी.सी. के विनियमों में शिक्षा हेतु योग्य शैक्षिक अभिलेख तथा विषय में स्नातकोत्तर उपाधि सदा बन्धनकारी अर्हता रही है।

- शैक्षणिक संकाय हेतु नेट की अनिवार्यता कभी जोड़ दी गई तथा कभी हटा दी गई किन्तु यू.जी.सी. के विनियमों में यह सदैव बन्धनकारी अर्हता रही है।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के– 2014 के विनियमों में तीन विशिष्ट व्याख्याताओं की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई जो पूर्ववर्ती 2009 के विनियम में अंशकालिक थे। इन विशिष्ट व्याख्याताओं के लिए यू.जी.सी. कार्यभार के अनुरूप कार्य की गुजांइश ही नहीं है।
- विभागाध्यक्ष/प्राचार्य की नियुक्ति हेतु आवश्यक शिक्षण अनुभव में भी निरन्तर बदलाव किये गए। 2009 से पूर्व स्कूली शिक्षा के अनुभव को प्राचार्य/विभागाध्यक्ष की नियुक्ति में महत्व दिया गया किन्तु बाद में यह समाप्त कर दिया गया। अनुभव की अवधि भी कभी 10 वर्ष, कभी 12 वर्ष और कभी 08 वर्ष निर्धारित की जाती रही।
- 2014 से पहले बी.एड. और एम. एड. पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की थी। 2014 में इस अवधि को बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया और साथ में योग्य संकाय एवं प्रवेश को भी दुगुना कर दिया गया।
- 2014 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने पहली बार पाठ्यक्रम का विवरण तय किया और उसमें परम्परागत पाठ्यक्रम को जोड़ा जैसे मापन एवं मूल्यांकन, शिक्षा

तकनीकी और सूक्ष्म शिक्षण को हटाया साथ ही नये अभ्यास पाठ्यक्रम यथा इन्टर्नशिप, ललित कला/निष्पादन कला तथा शारीरिक शिक्षा को जोड़ा गया।

1.11.2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्– 2014 के मानक और मानदंडों का फैकल्टी सम्बन्धी शिक्षा महाविद्यालय द्वारा परिपालन की वर्तमान स्थिति का आकलन

शोध अध्ययन का द्वितीय उद्देश्य "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्– 2014 के मानक और मानदंडों का फैकल्टी सम्बन्धी शिक्षा महाविद्यालय द्वारा परिपालन की वर्तमान स्थिति का आकलन करना" था इस उद्देश्य से संबंधित प्राप्तियाँ निम्न हैं–

विश्वविद्यालयवार बी.एड़. एवं एम.एड़. महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी

- मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में बी.एड़. एवं एम.एड़. स्तर पर दो इकाई या समतुल्य हेतु महाविद्यालयों का प्रतिशत तथा उनमें घाटा प्रतिशत एनसीटीई दस्तावेजों से ज्ञात किए गए। इससे संबंधित परिणाम निम्न है।

  रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, के बी.एड़. एवं एम.एड़. के 77 प्रतिशत महाविद्यालयों में 44 प्रतिशत या अधिक फैकल्टी की कमी पाई गई। इसी प्रकार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के 69 प्रतिशत, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के 85 प्रतिशत, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के 69 प्रतिशत, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के 83 प्रतिशत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के 91 प्रतिशत महाविद्यालयों में 44 प्रतिशत या अधिक फैकल्टी की कमी पाई गई।

- उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में बी.एड़. एवं एम.एड. स्तर पर दो इकाईयां या समतुल्य हेतु महाविद्यालयों का प्रतिशत तथा उसमें उनमें घाटा प्रतिशत एनसीटीई दस्तावेजों से ज्ञात किए गए। इससे संबंधित परिणाम निम्न है।

  लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के बी.एड़. एवं एम.एड. के 77 प्रतिशत महाविद्यालयों में 44 प्रतिशत या अधिक फैकल्टी की कमी पाई गई। इसी प्रकार वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के 59 प्रतिशत, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के 51 प्रतिशत, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के 63 प्रतिशत, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के 79 प्रतिशत, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली के 77 प्रतिशत महाविद्यालयों में 44 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी पाई गई।

  राज्यवार और देशव्यापी बी.एड़. एवं एम.एड.महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमीः–

  मध्य प्रदेश के बी.एड़. एवं एम.एड. में 80 प्रतिशत महाविद्यालयों में 44 प्रतिशत या अधिक फैकल्टी की कमी पाई गई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के बी.एड़. एवं एम.एड के 72 प्रतिशत महाविद्यालयों में 44 प्रतिशत या अधिक फैकल्टी की कमी पाई गई एवं संपूर्ण देश के बी.एड़. एवं एम.एड में 75 प्रतिशत महाविद्यालयों में 44 प्रतिशत या अधिक फैकल्टी की कमी पाई गई।

1.11.3 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के मानक और मानदंडों का शिक्षा महाविद्यालय द्वारा परिपालन तथा उसमें आने वाली समस्याओं के संबंध में प्राचार्य क अभिमत का अध्ययन

शोध अध्ययन का तृतीय उद्देश्य "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के मानक और मानदंडों का शिक्षा महाविद्यालय द्वारा परिपालन तथा उसमें आने वाली समस्याओं के संबंध में प्राचार्य के अभिमतों का अध्ययन करना" था। इस उद्देश्य से संबंधित प्राप्तियाँ निम्न हैं–

- शारीरिक शिक्षा, ललित कला एवं निष्पादन कला के लिए पूर्णकालिक शिक्षकों की नियुक्ति व्यवहारिक नहीं है। ये विषय विशेष बी.एड. के पाठ्यचर्या के एक निश्चित सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं तथा प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिए एक कालांश पर्याप्त होता है। ऐसे में इन शिक्षकों को वर्ष भर समय सारणी में पर्याप्त शिक्षण कार्य दे पाना संभव नहीं है।
- निर्धारित शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय तथा फैकल्टी को दिए जाने वाले वेतन में सामंजस्य बिठाने में महाविद्यालय प्रवंधन को कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इसकी वजह हैं कि फैकल्टी को यू.जी.सी. और एन.सी.टी.ई. के अनुरूप वेतनमान दिए जाने की परम्परा ही नहीं हैं। फैकल्टी को दिए जाने वाला वेतनमान महाविद्यालय को होने वाली आय द्वारा 'नो प्रॉफिट नो लॉस' के आधार पर निर्धारित होता है।
- एन.सी.टी.ई. के नियमों के अनुसार 6 माह का इंटर्नशिप कराए जाने में अनेक समस्याएँ हैं। बी.एड़. की परीक्षाएँ समय पर संपन्न नहीं होने के कारण सेमेस्टर बैक हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि जिस समय में इंटर्नशिप समय सारणी के हिसाब से तय की गई है वह ऐसे समय पर जाता है जब स्कूलों में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है। अतः विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण इंटर्नशिप की संभावनाएं खत्म

हो जाती हैं। विद्यालय भी 6 महीने के लिए स्कूल इंटर्नशिप हेतु कक्षाएं देने में रूचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनका शिक्षण आदि का रूटीन गडबडा जाता है।

- बी.एड़. पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष की होने के कारण प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, अपितु बढ़ोत्तरी हुई है। यह अवश्य हैं कि परीक्षायें लेट होने के कारण प्रदेश से बाहर के विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई हैं।
- योग्य फैकल्टी की नियुक्ति में कोई विशेष समस्या नहीं आती है। कुछ पेडागोजी विषय में यह समस्या जरूर आती है। नेट परीक्षा पास योग्य फैकल्टी के न मिलने पर बिना नेट उम्मीदवारों को 6 महीने के लिए रख लिया जाता है। आवश्यक भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने में कोई समस्या नहीं आती है क्योंकि एक बिल्डिंग को कई पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
- फैकल्टी हेतु नेट की अनिवार्यता को देखते हुए कालेज कोड़ के अर्न्तगत नियुक्ति करवाने में समस्या आती है। नेट निकालने वाला उम्मीदवार तत्काल नियुक्ति पा जाता है। पूर्व में नेट किए हुए शिक्षक कहीं न कहीं कार्य कर रहे होते है अतः उन्हें पूर्व में कार्यरत महाविद्यालयों से तोड़ना तभी संभव होता है जब उन्हें ज्यादा वेतन दिया जाए। यह प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होता है। एक अन्य कारण से भी नेट क्वालिफाइड उम्मीदवारों की नियुक्ति में कोई समस्या नहीं है क्योंकि एक योग्य फैकल्टी तो एक महाविद्यालय में कार्य कर रहा होता है किंतु उसका नाम कई अन्य विश्वविद्यालयों में भी चलता है।
- एम.एड़. में एक ही इकाई पर दो प्रोफेसर, सह प्रोफेसर और 6 सहायक प्रोफेसर का वेतन एम.एड़. के 50 विद्यार्थियों के फीस से निर्धारित फैकेल्टी को यू.जी.सी. वेतनमान

देना संभव नहीं है। होता यह हैं कि महाविद्यालय विद्यार्थियों से प्राप्त आय के आधार पर प्रोफेसर सह प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर की वेतन निर्धारित किया जाता है।

- एम.एड. में एक ही इकाई पर दो प्रोफेसर दो सह प्रोफेसर को शिक्षा में नेट/स्लेट के अलावा पी–एच.डी. भी होना आवश्यक है तो इतने बड़े पैमाने पर उपाधि प्राप्त शिक्षकों की उपलब्धता नहीं होती है।
- एस.सी./एस.टी. के विद्यार्थियों के संस्था छोड़कर जाने से महाविद्यालय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि नाम मात्र के विद्यार्थी संस्था छोड़कर जाने में रुचि लेते हैं।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नए विनियमों के अंतर्गत बी.एड़. की अवधि 2 वर्ष होने के पश्चात परीक्षाएं समय पर आयोजित न होने के संदर्भ में प्राचार्यों की राय अलग–अलग हैं। कुछ सेमेस्टर पद्यति को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं तथा कुछ वार्षिक पद्धति को।
- प्रायोगिक कार्यों में 90 प्रतिशत की उपस्थिति की अनिवार्यता के संबंध में प्राचार्यों का मानना है कि यह अव्यवहारिक तथा अदूरदर्शी है। अतः यह पूर्णतः कागजी और प्रायः असंभव है।
- विशिष्ट पाठ्यक्रमों जैसे शारीरिक शिक्षा, ललित कला तथा प्रदर्शन कला के लिए भौतिक अधोसंरचना एवं आवश्यक संसाधन महाविद्यालयों में उपलब्ध हैं।

1.11.4 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् बी. एड. शिक्षक–शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षकों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन

शोध अध्ययन का चतुर्थ उद्देश्य " राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् बी. एड. शिक्षक–शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षकों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन करना" था। इस उद्देश्य से संबंधित प्राप्तियाँ निम्न हैं–

इंटर्नशिप

इंटर्नशिप के दौरान शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों को कार्यालयीन कार्यों का कौशल प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर मिले; इंटर्नशिप कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रहा, स्कूलों द्वारा पढ़ाने हेतु पर्याप्त कक्षाएं दी गई; विद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता के अवसर प्राप्त हुए तथा विद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

वहीं दूसरी ओर विद्यालय स्थानबद्व प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) के दौरान शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों से मुख्यतः विषय की कक्षायें ही पढ़वाई गई; महाविद्यालय के शिक्षकों का पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं मिल पाया; स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों पर छोड़ देने से कार्यक्रम की गुणवत्ता से समझौता किया गया अनिष्क्रियता के कारण समुचित कार्य प्रदान नहीं किए गए; पाठ अवलोकन की अनुमति नहीं दी गई; दैनिक पंजी, साथी अवलोकन रजिस्टर आदि का नियमित निरीक्षण नहीं हो पाया, पाठ योजना व उसके प्रस्तुतीकरण पर अधिक जोर दिया गया; शोध छात्रों व एम.एड़. के छात्रों द्वारा गंभीरता पूर्वक पर्यवेक्षण नहीं किया गया तथा समस्त गतिविधियां विद्यालय द्वारा नियंत्रित रही।

रीडिंग एवं रिफलेक्टिंग

रीडिंग एवं रिफलेक्टिंग से विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जागृत हुई; विद्यार्थियों में पढ़े हुए को समझकर अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित हुई; प्रशिक्षणार्थियों में समुचित व्यक्तित्व

एवं तर्कशक्ति का विकास एवं शिक्षण दक्षता का विकास हुआ; समूह में दूसरे के परावर्तन स्वयं के चिंतन स्तर में सुधार करने में सहायक हुए और संप्रेषण कौशलों का विकास हुआ। बी.एड़. पाठयक्रम में रीडिंग और रिफलेक्टिंग विषय के महत्व से भली–भांति अवगत कराया गया, नियमित गतिविधियों का अवलोकन किया गया, आदर्श रचनाएं, कृतियां प्रस्तुत की गई और सभी कक्षाएं विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा ली गई।

लेकिन दूसरी ओर रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग की कक्षाओं को छात्राध्यापकों ने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया; समूह में बोलने का आत्मविश्वास आदि का समुचित विकास नहीं हुआ; राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारविमर्श के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुए; कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में पर्याप्त भिन्नता नहीं होने से रुचि उत्पन्न नही हुई तथा न्यायोचित ढंग से अंक प्रदान नहीं किए गए।

ललित और निष्पादन कला

अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को कलात्मक अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर प्राप्त हुए; छिपी प्रतिभा को बाहर आने के अवसर प्राप्त हुए; विद्यार्थियों के समूह में कार्य करने की दक्षता विकसित हुई; सौन्दर्यात्मक बोध विकसित हुआ तथा विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने में पूर्णतः सफल रहे।

वहीं इसके विपरित विद्यार्थियों द्वारा ललित और निष्पादन कला के अंतर्गत कराई गई गतिविधियों का संपादन प्रभावी ढंग से नहीं हुआ। जितना समय निर्धारित था उसमें और अधिक कई गतिविधियां कराई जा सकती थी; निरीक्षण प्रभावी ढंग से नहीं किया गया तथा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास संभव नही हो पाया।

शारीरिक शिक्षा

विद्यार्थियों में नियम पालन और अनुशासन का विकास हुआ; शारीरिक विकास करने के पर्याप्त अवसर मिले एवं विद्यार्थी योग करने की तरफ प्रवृत्त हुए। उनमें नित्य व्यायाम करने की आदत विकसित हुई और सहयोग की भावना विकसित हुई।

किन्तु वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को खेलों को आयोजित करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिले; जिससे उनमें नेतृत्व का विकास हो पाता। शारीरिक शिक्षा पाठयक्रम के अंतर्गत कौशल प्राप्त नहीं हुए; मैदानी खेल खेलने के अवसर प्राप्त नहीं हुए, एम.पी.एड़. योग्यता प्राप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने से कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लगी; महाविद्यालय में उपर्युक्त मैदान उपलब्ध नहीं थे और बी.एड़. विद्यार्थियों की दिनचर्या नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई।

1.11.5 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् बी. एड. शिक्षक –शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षक्षणार्थियों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन

शोध अध्ययन का पंचम उद्देश्य " राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् बी. एड. शिक्षक–शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन करना" था। इस उद्देश्य से संबंधित प्राप्तियाँ निम्न हैं–

इंटर्नशिप

विद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों में शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को समुचित सहभागिता के अवसर प्राप्त हुए; पर्याप्त कक्षाएं उपलब्ध कराई गई, कक्षाओं को संलग्न करने में शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही; इंटर्नशिप उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रहा, दैनिक पंजी नियमित रूप से देखी गई; शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास हुआ, पर्याप्त

सहयोग प्राप्त हुआ, पाठ योजना की जांच हेतु शिक्षक की उपलब्धता सुगम रही, वर्तमान परिदृश्य के अनुसार महाविद्यालय में समग्र मूलभूत सुविधाएं थी; विद्यालय की तुलना में शिक्षकों का सक्रिय सहयोग रहा, नवीन तकनीकों के प्रशिक्षण में सहायता प्राप्त हुई एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा पढ़ाने हेतु दी गई।

वहीं दूसरी ओर विद्यालय में आवंटित शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी तथा विद्यालय में बैठक व्यवस्था अपर्याप्त थी। पाठ योजना नियमित रूप से नहीं जँचवाई जा सकी; नियमित पर्यवेक्षण कार्य नहीं किया जा सका; पर्यवेक्षण का कार्य एम.एड़. विद्यार्थियों/स्कूली शिक्षकों पर छोड़ दिया गया था। साथी अवलोकन रजिस्टर का नियमित निरीक्षण नहीं हो पाया तथा माँग अभ्यास शिक्षण की कक्षाएं पढ़ाई गई। विद्यालय से प्रदान किए गए अंक एक जैसे थे; स्कूल शिक्षक अन्य कार्यों में व्यस्त रहें। पाठ योजना जांच करवाने में कई दिन अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ते थे; विद्यालय का शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के प्रति व्यवहार शिक्षकों के समान नहीं था। इंटर्नशिप संबंधी कार्य देने में रूचि नही दिखाई।

रीडिंग और रिफ्लेक्टिंग

रीडिंग और रिफ्लेक्टिंग की कक्षाएं नियमित रूप से लगी; साहित्य के प्रति रुचि जागृत हुई तथा पढ़े हुए लेख को समझकर अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित हुई। व्यक्तित्व तर्क शक्ति और शिक्षण दक्षता का विकास हुआ; अध्ययन–अध्यापन चिंतन में सुधार करने में सहायक हुए क्योकि गंभीरता पूर्वक अध्ययन–अध्यापन कराया गया।

वहीं दूसरी ओर रीडिंग एवं रिफ्लेक्टिंग विषय को शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों ने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। शिक्षा के राष्ट्रीय एवं सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श के अवसर प्राप्त नहीं हुए। अलग–अलग समूहों में न होने से भाषागत समस्यायें उत्पन्न हुई। विषय के

अध्यापन से पूर्व इसके महत्व को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। न्यायोचित ढंग से अंक प्रदान नहीं किये गए एवं मूल्यांकन को महज औपचारिकता पूर्ण करने हेतु किया गया।

ललित और निष्पादन कला

ललित और निष्पादन कला में कलात्मक अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर प्राप्त हुए; प्रतिभा को बाहर आने के अवसर मिले; व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाया; समूह में कार्य करने की दक्षता विकसित हुई; विषय के शिक्षक अपने विषय में पूर्णतः पारंगत थे एवं सृजनात्मकता के विकास में सहायक थे। वहीं दूसरी ओर ललित और निष्पादन कला के अंतर्गत कराई गई गतिविधियों का संपादन शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रभावी ढंग से नहीं किया गया। जितना समय निर्धारित था उसमें और कई गतिविधियां कराई जा सकती थी। गतिविधियों का निरीक्षण भी प्रभावी ढंग से नहीं हो पाया।

शारीरिक शिक्षा

शारीरिक शिक्षा से शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों में नियम पालन और अनुशासन का विकास संभव हुआ। शारीरिक विकास के पर्याप्त अवसर मिले तथा नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हो पाया। योग करने की रुचि जागृत हुई तथा नित्य व्यायाम करने की आदत का विकास हुआ। योग करने से एकाग्रता विकसित हुई और योग क्रियाओं से मानसिक शांति की अनुभूति प्राप्त हुई।

वहीं दूसरी ओर शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों में खेल विधि प्रयुक्त करने के कौशल प्रदान नहीं किये गए। विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलने के अवसर प्राप्त नहीं हुए और कक्षा लगने का समय शारीरिक क्रियाओं हेतु उपयुक्त नहीं था।

1.11.6 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् एम. एड. शिक्षक –शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षकों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन

शोध अध्ययन का छठा उद्देश्य "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् एम. एड. शिक्षक –शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षकों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन करना" था। इस उद्देश्य से संबंधित प्राप्तियाँ निम्न हैं–

- इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा भ्रमण की गई संस्था की कार्यप्रणाली को समझने के अवसर प्राप्त हुए; संप्रेषण कौशलों का विकास हुआ; इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रति विशेष उत्साह दिखाया गया; संस्था के शिक्षकों/प्राचार्यो द्वारा इसे गंभीरता पूर्वक लिया गया; इंटर्नशिप उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रही; नियमित रूप से गतिविधियों का प्रतिवेदन तैयार किया गया; विद्यार्थियों की उपस्थिति नियमित रही; विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों से संवाद के अवसर प्राप्त हुए; संस्था से समुचित सहयोग प्राप्त हुआ; विद्यार्थियों ने अध्यापन कार्य के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भी पर्याप्त सहभागिता की; उनका मूल्यांकन उचित प्रकार से हुआ; समूह के रूप में कार्य करने के अवसर प्राप्त हुए; उन्हे उचित उन्मुखीकरण दिया गया था; कार्यक्रम की समीक्षा कर शिक्षकों को मार्गदर्शन दिया गया तथा जिनकी उपस्थिति कम थी उन विद्यार्थियों से अतिरिक्त गतिविधियां करवाई गई।
- एम.एड़. इंटर्नशिप के क्रियान्वयन में शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित कमियां पाई गई। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा शिक्षा महाविद्यालय के

शिक्षकों द्वारा निर्धारित गतिविधियां ही संपन्न की गई, समय–समय पर निर्देशन और अधिक बेहतर ढंग से हो सकता था तथा और अधिक गतिविधियां कराई जा सकती थी।

1.11.7 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् एम. एड. शिक्षक –शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन

शोध अध्ययन का सातवां उद्देश्य "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–2014 के नए प्रावधानों के पश्चात् एम. एड. शिक्षक–शिक्षा की पा्ठ्यचर्या के अभ्यास घटक का शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों के अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन करना" था इस उद्देश्य से संबंधित प्राप्तियाँ निम्न हैं–

- इंटर्नशिप कार्यक्रम का निरीक्षण प्रभावी ढंग से हो पाया; इंटर्नशिप उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रहा; डायरी/रजिस्टर की महाविद्यालय शिक्षकों द्वारा नियमित जांच की गई; अकादमिक व शिक्षणेत्तर गतिविधियों में सहभागिता के अवसर प्राप्त हुए; इंटर्नशिप कार्यक्रम गंभीरतापूर्वक लिया गया तथा इससे व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाया। साथी प्रशिक्षुओं द्वारा पूर्ण सहयोग दिया गया और शिक्षण कौशल सीखने के अवसर प्राप्त हुए। प्रशिक्षुओं के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया गया; ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग किया गया; संस्थान की कार्यप्रणाली की समझ विकसित हुई, संस्थान की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया गया; गतिविधियों का मूल्यांकन कर उचित मार्गदर्शन दिया गया; शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा समुचित सहयोग प्रदान किया गया एवं शिक्षकों के साथ उद्देश्य पूर्ण अंतः क्रिया की गई।

प्रशिक्षु संस्थान में पूरे समय उपस्थित रहते थे; उनके द्वारा कार्यालय के कार्यों में रुचिपूर्ण सहभागिता की गई; समूह में कार्य करने के अवसर भी प्राप्त हुए; ज्यादा गतिविधियां कराने पर जोर दिया गया; समस्याओं का निराकरण समय पर किया गया, इंटर्नशिप प्रतिवेदन की रूपरेखा स्पष्ट की तथा संस्था के साथ तालमेल प्रभावी रहा। साप्ताहिक कैलेंडर प्रदान किया गया; परीक्षा परिणाम घोषित किया गया तथा इंटर्नशिप के दौरान महाविद्यालय के शिक्षकों का मार्गदर्शन मिल पाया। शिक्षक प्रशिक्षुओं को समुचित कार्य प्रदान किए गए; इंटर्नशिप नियत समयावधि तक चल पाया; पर्याप्त प्रशिक्षण कार्य प्रदान किए गए एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्य देने में पर्याप्त रूचि दिखाई।

- किन्तु दूसरी ओर पूर्व निर्धारित गतिविधियां ही कराई गई, शिक्षक प्रशिक्षक प्रायः अनुपस्थित रहते थे, मूल्यांकन में सुधार किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए कार्य प्रायः बी.एड़. स्तर पर किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति थे। सभी प्रशिक्षुओं ने एक जैसे कार्य किए जिसमें शिक्षण पर अत्यधिक जोर दिया गया।

1.12.0 शोध के निहितार्थ

नीति निर्धारकों एवं प्रशासकों हेतु

शोध में पाया गया कि बी. एड. पाठ्यक्रम में तीन विषय ऐसे रखे गए हैं जिनकी समय–सारणी में दो वर्षीय पाठ्यक्रम में छह माह के लिए प्रतिदिन केवल एक–एक घंटे की कक्षा देना ही संभव है। ऐसे में ऐसे तीन विषयों के प्राध्यापकों की नियुक्ति पूर्णकालिक समय हेतु व्यवहारिक नहीं है, ऐसे में महावद्यिालयों को अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ता है। अतः नीतिनिर्धारकों को ऐसे शिक्षक प्रशिक्षकों की पूर्णकालिक नियुक्ति हेतु पुनर्विचार

करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त ये भी पाया गया कि प्रति सेमेस्टर मुख्य विषय तीन एवं दो प्रायोगिक विषय हैं। बी.एड. पाठ्यक्रम की दो इकाईयों हेतु प्रतिदिन अधिकांशतः एक शिक्षक के पास केवल दो कक्षायें ही प्रतिदिन संभव होती है, अर्थात् प्रतिशिक्षक कार्यभार बहुत कम होता है, ऐसी स्थिति में दो इकाईयों के लिए 15 शिक्षकों की नियुक्ति की शर्तो पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी जो एन. सी. टी. ई. द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं उस पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु

शोध अध्ययन में पाया गया कि इंटर्नशिप में प्रशिक्षणार्थियों का गंभीरता पूर्वक पर्यवेक्षण नहीं किया गया अतः शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा इंटर्नशिप में प्रशिक्षणार्थियों के पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। शोध अध्ययन में पाया गया कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग की कक्षाओं को छात्राध्यापकों ने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। समूह में बोलने का आत्मविश्वास आदि का समुचित विकास नहीं हुआ। राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारविमर्श के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुए अतः शिक्षक–प्रशिक्षकों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

1.13.0 भविष्य हेतु सुझाव

- प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के एक विश्वविद्यालय एवं उत्तरप्रदेश के दो विश्वविद्यालयों का ही चयन किया गया है,। इसी प्रकार का शोध अध्ययन मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यलयों में भी किया जा सकता है।
- इसी प्रकार का शोध अध्ययन देश के अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों में भी किया जा सकता है।

- इसी प्रकार का शोध अध्ययन अन्य शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों यथा डी. एल. एड., बी. एल. एड. एवं एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए भी किया जा सकता है।